विज्ञापन सं. एमओटी/01/2023

सं.ए-42011/8/2022-स्था.
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
******

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक: मार्च, 2023

रिक्ति परिपत्र

विषयः वस्त्र मंत्रालय में आंतरिक वित्त विंग (आईएफडब्ल्यू) के लिए अनुबंध के आधार पर अनुभाग अधिकारी (एसओ)/अवर सचिव (यूएस) रैंक के एक सेवानिवृत्त व्यक्ति की नियुक्ति करने हेतु आवेदन आमंत्रित करना।

वस्त्र मंत्रालय, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के कामकाज में काफी अनुभव रखने वाले किसी भी केंद्र सरकार के कार्यालयों/सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों से एसओ/यूएस अथवा समतुल्य पदों से सेवानिवृत्त हुए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से मंत्रालय के परामर्शदाता के रूप में अनुबंध आधार पर आंतरिक वित्त विंग में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है ।

2 . **अनुबंध के नियम और शर्तें निम्नानुसार होंगी : -**

i. परामर्शदाता के पास वित्त विंग, ईएफसी/एसएफसी/कैबिनेट नोट्स और नियम, सार्वजनिक खरीद, सामान्य वित्तीय नियम-2017 में कार्य करने की गहन जानकारी/अनुभव होना चाहिए। **उन्हें एमएस-वर्ड/पीपीटी/एक्सेल/ई-ऑफिस आदि में काम करने का पूरा ज्ञान होना चाहिए** ;
ii. दिनांक 01.06.2023 को उनकी आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
iii. कार्य दिवसों के दौरान सामान्य रूप से कार्य समय सुबह 09.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा। तथापि, काम की अत्यावश्यकता में, उन्हें देर तक बैठने की आवश्यकता हो सकती है और शनिवार/रविवार या अन्य छुट्टियों पर उन्हें बुलाया जा सकता है।
iv. वे समय-समय पर संशोधित आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 द्वारा शासित होंगे, और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) को किसी भी जानकारी / डेटा का खुलासा नहीं करेंगे जो मंत्रालय में 'परामर्शदाता' के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि के दौरान उनके संज्ञान में आता है। ऐसे सभी दस्तावेज सरकार की संपत्ति होंगे।

v. वे विभाग की व्यक्त लिखित सहमति के बिना अपने असाइनमेंट के उद्देश्य के लिए या विभाग के लिए असाइनमेंट के दौरान एकत्र किए गए डेटा या आंकड़ों या कार्यवाही या जानकारी के किसी भी हिस्से का उपयोग या प्रकाशन या किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेंगे।

vi. विभाग के लिए एकत्र किए गए डेटा के साथ-साथ डिलिवरेबल्स के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) विभाग के पास रहेंगे।

vii. परामर्शदाताओं की नियुक्ति के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र संख्या 01/0/2017 दिनांक 23.1.2017 और परिपत्र संख्या 08/06/2011 दिनांक 24.06.2011 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। वे नैतिक व्यवसाय और व्यावसायिकता के मानदंडों के आलोक में इस विभाग में अपनी नियुक्ति के दौरान किसी भी सलाह या उनके द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए पूरी तरह से जवाबदेह होंगे।

viii. उन्हें हर समय वस्त्र मंत्रालय के हित में कार्य करना होगा और पेशेवर सत्यनिष्ठा के साथ कोई सलाह/सेवा देनी होगी।

ix. वे इस विभाग में परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हुए सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता, मितव्ययिता और दक्षता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे।

x. इस प्रकार नियुक्त परामर्शदाता किसी भी मामले में प्रतिनिधित्व या राय या सलाह नहीं देंगे जो विभाग के हित के प्रतिकूल हो और न ही वे संविदात्मक असाइनमेंट की शर्तों के बाहर किसी भी गतिविधि में शामिल होंगे।

3. **<u>पारिश्रमिक और भत्ते:</u>** पारिश्रमिक, छुट्टी और भत्ते व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-25-2020.ई-IIIए दिनांक 09.12.2020 के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे:

3.1 **<u>परिलब्धियां</u>** :- देय मासिक परिलब्धियां/पारिश्रमिक अंतिम आहरित वेतन में से आहरित पेंशन की राशि घटाकर (+)अंतिम पद पर लिए गए परिवहन भत्ते के बराबर स्थानीय वाहन परामर्श शुल्क के रूप में प्रति माह देय होगा। परिलब्धियां और आहरित पेंशन चयनित व्यक्ति द्वारा आहरित अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा। तथापि, उस पर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।

3.1.2 तथापि, परामर्शदाता आधिकारिक ईमेल आईडी, सरकारी पहचान पत्र, इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन, मानक उपकरण, पुस्तकालय सुविधा वाले कार्यालय आदि के पात्र होंगे।

3.2 <u>भत्ते :-</u> परामर्शदाता किसी भी प्रकार के भत्ते या आवास सुविधा के हकदार नहीं होंगे। तथापि, अगर उन्हें मंत्रालय के कार्यालयीन कार्य के सिलसिले में देश के अंदर यात्रा करने की आवश्यकता होती है, तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उनको उसी

ग्रेड के नियमित कर्मचारी को देय टीए/डीए का भुगतान किया जाएगा, जिससे वे सेवानिवृत्त हुए हैं।

3.3 <u>अवकाश :</u> - परामर्शदाता सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिनों के लिए पात्र होंगे। परामर्शदाताओं को स्वीकार्य अवकाश से अधिक अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। अप्रयुक्त छुट्टी को न तो अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाएगा और न ही इसका भुगतान किया जाएगा ।

4. <u>स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस): -</u> स्वीकार्य टीडीएस परामर्शदाताओं के मासिक पारिश्रमिक से काटा जाएगा। मांग करने पर संबंधित डीडीओ द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

5. परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति को पुनर्नियोजन का मामला नहीं माना जाएगा।

6. <u>परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड:</u>

जो व्यक्ति आवेदन करना चाहते हैं उन्हें निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:

6.1 सामान्य शर्तें:

i. अवर सचिव/उप सचिव स्तर या समकक्ष के स्तर पर केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय/सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों से सेवानिवृत्त होना चाहिए;

ii. 01.06.2023 को 64 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए।

iii. उसके पास उत्कृष्ट **कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर संचालन और ई-ऑफिस में काम करने के** साथ उत्कृष्ट संप्रेषण और पारस्परिक कौशल होना चाहिए ।

6.2 विशेष शर्तें:- आंतरिक वित्त विंग हेतु:-

एसओ/यूएस जिनके पास वित्त विंग, ईएफसी/एसएफसी /कैबिनेट नोट्स और नियम, सार्वजनिक खरीद, सामान्य वितीय नियम-2017 में काम करने की गहन जानकारी/अनुभव है, उन्हें **ही आवेदन करना चाहिए।**

6.3 <u>अनुबंध की अवधि:</u>

6.3.1. परामर्शदाता के रूप में एक व्यक्ति की प्रारंभिक नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। प्रारंभिक कार्यकाल की समाप्ति के बाद, मंत्रालय की आवश्यकता और संबंधित परामर्शदाता(ओं) के निष्पादन के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन

से, एक बार में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

6.3.2 परामर्शदाता की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी और उन्हें वस्त्र मंत्रालय में परामर्श की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.3.3. परामर्शदाता की नियुक्ति विशिष्ट **कार्य/नियोजनों** के विपरीत अस्थायी (गैर-सरकारी) प्रकृति की है।

8. **चयन प्रक्रिया:**

वस्त्र मंत्रालय में गठित स्क्रीनिंग समिति उपर्युक्त पैरा 6.1 और 6.2 में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के आधार पर आवेदनों की जांच करेगी और परामर्शदाता का चयन करेगी।

9. परामर्शदाता की सेवा समाप्ति:

वस्त्र मंत्रालय द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए परामर्शदाता की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। तथापि, परामर्शदाता को कार्य से इस्तीफा देने से पहले 30 दिनों का अग्रिम नोटिस या पारिश्रमिक देना होगा।

10. इच्छुक सेवानिवृत्त केन्द्रीय सरकारी अधिकारी अपने आवेदन पीपीओ की एक प्रति के साथ संलग्न प्रारूप में अवर सचिव (प्रशासन) को, कक्ष संख्या 336-ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011 में 18.04.2023 तक भेज सकते हैं। आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के नीचे दिए गए ईमेल पर भी भेजे जा सकते हैं। अपूर्ण आवेदन या नियत तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

11. कृपया इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

जयश्री शिवकुमार 27/3/23

(जयश्री शिवकुमार)
अवर सचिव,भारत सरकार
ईमेल: jaya.shiva@nic.in
टेलीफोन नं. 2306 2256.

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने के लिए एनआईसी, वस्त्र मंत्रालय।

विज्ञापन सं. एमओटी/01/2023, दि: 27 मार्च, 2023

::पृष्ठ स.-1::

अनुबंध -क

विज्ञापन संख्या एमओटी/01/2023 के सापेक्ष वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली में परामर्शदाता पद(एसओ/यूएस) के लिए आवेदन

हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो

1. पूरा नाम:

2. पिता का नाम:

3. जन्मतिथि:

4. दिनांक 01.06.2023 को आयु:

5. सेवानिवृत्ति की तारीख:

6. अंतिम कार्यालय जहां कार्य किया:

   - कार्यालय का नाम:
   - क्या मुख्य मंत्रालय/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय है :

7. अंतिम धारित पद का पदनाम :

8. अंतिम वेतन/ आहरित पेंशन:

9. अंतिम पद पर आहरित परिवहन भत्ता (टीए):

10. आधार संख्या :

11. मोबाइल नं. :

अनुबंध-क

12. पता :

13. शैक्षणिक योग्यता :

14. ईमेल आईडी :

15. कार्यानुभव (यदि आवश्यक हो तो अलग शीट जोड़ें):

मंत्रालय/विभाग	धारित पद	अवधि		कार्य की प्रकृति	टिप्पणियां
		से	तक		

स्थान:

दिनांक:

विज्ञापन संख्या 01/2023 के सापेक्ष परामर्शदाता एसओ / यूएस के पद के लिए आवेदन करने हेतु।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

- पीपीओ की कॉपी
- अंतिम वेतन स्लिप की प्रति